

सयुक्त निरीक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

दिनांक 31-10-2021 को इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली की ओर से
रामन कुमार श्रीवास्तव व सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर की ओर से
D.F.O फतेहपुर के साथ हुए सयुक्त निरीक्षण की आख्या के अनुसार
जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -
46) के किमी० 82 से किमी० 64 के मध्य 18 किमी० दायी पटरी पर, कुल लम्बाई 18 किमी०
में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच तकनीक के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के
कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.900 हे० सरंक्षित वन भूमि प्रभावित हो
रही है। गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु गैर वानिकी उपयोग की जाने वाली वन भूमि की मांग
न्यूनतम है अवमा कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। परियोजना के तहत प्रभावित
वनभूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष बाधक नहीं है तथा उक्त विषयक कार्य हेतु उपयुक्त है।
प्रस्तावक विभाग द्वारा वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रभागीय निदेशक
सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

Raman

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Vice President (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part), Fatehpur & Hamipur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001